प्रारूप 21-ग

(नियम 64 देखिये)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

81, टोडाभीम (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिये निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि:-

श्री पृथ्वीराज

वार्ड नं0 13 नोबिस्वा टोडाभीम

जिला करौली

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये है ।

रथान :राजकीय महाविद्यालय करौली

दिनांक : 11/12/2018

विधानसिटिनिया अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोडाभीम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 81, टोडाभीम (अ.ज.जा.)

Conduct of election Rules.1961 (Statutory Rules and Order)

FORM - 21 C

(See. rule 64)
Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan From 81, TODABHIM (ST) Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People act. 1951 read with rule 64 of the conduct of Election Rules, 1961, I declare that:-

Shri PRITHVIRAJ

WARD NO. 13 NAUBISWA TODABHIM DISTRICT KARAULI

Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS

(Name of recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place: GOVERMENT COLLAGE KARAULI

Date: 11/12/2018

SUB DIVISIONAL OFFICER AND
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
ASSEMBLY CONSTITUENCY 81, TODABHIM (ST)